स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (S.O.P.)

1. प्रथम शिकायत अपलोड होते ही पूर्णतया डाउनलोड कर इसका प्रिंट आउट, राजपत्रित नॉडल अधिकारी, जांच हेतु **गठित टीम** को सौंपेंगे
2. टीम द्वारा उसी दिवस शिकायतकर्ता से सम्पर्क किया जायेगा
3. प्रत्येक दिवस की कार्यवाही की रिपोर्ट टीम द्वारा राजपत्रित नॉडल अधिकारी को दी जायेगी
4. राजपत्रित नॉडल अधिकारी उक्त रिर्पोट में शिकायतकर्ता एवं अरोपी की पहचान को न दिखाते हुये ब्रीफ बनाकर वेबसाइट पर प्रत्येक दिवस की कार्यवाही दिनांक वाइज़ अपलोड करायेंगे
5. पुलिस की कार्यवाही पूर्णतया समाप्ति पर इसका उल्लेख वेबसाइट पर "पुलिस कार्यवाही पूर्ण" लिखकर सूचित किया जाये

Standard Operating Prodedure (S.O.P.)

1- Gazetted Nodal Officer shall get the Printout of reported Crime against women complaint from website and give the enquiry to the constituted enquiry team.

2- Enquiry team shall contact the complainant on the same day.

3- Enquiry team shall provide the Nodal Gazetted officer of each day's action taken report.(ATR)

4- Gazetted Nodal Officer shall make a brief of each day's action taken report by hiding the names of complainant and accused and upload it on the police website.

5- When the enquiry is completed with all ATRs uploaded, the complaint must also be recorded as "Police action complete" in the last day's ATR

विशेष ध्यान रखने योग्य निर्देश

1. शिकायत अपलोड होते ही कार्यवाही प्रारम्भ होनी चाहिये
2. शिकायतकर्ता से, गठित जांच टीम, जहां तक सम्भव हो प्रथम दिवस ही सम्पर्क करेगी
3. किसी भी दशा में वेबसाइट पर शिकायतकर्ता अथवा अरोपी पक्ष, किसी का नाम इत्यादि पुलिस एक्शन में अपलोड़ नहीं किया जायेगा
4. राजपत्रित नॉडल अधिकारी स्वयं ही जांच टीम से प्रत्येक दिवस की कार्यवाही की रिपोर्ट लेंगे
5. शिकायतकर्ता के फीडबैक पर राजपत्रित नॉडल अधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जायेगा
6. शिकायतकर्ता के वेबसाइट पर दिये फीडबैक में "सैटिस्फाई" न होने की दशा में राजपत्रित नॉडल अधिकारी शिकायतकर्ता से स्वयं सम्पर्क करेंगे
7. आवश्यकतानुसार पुनः जांच कराकर विधिक कार्यवाही करायी जायेगी
8. राजपत्रित नॉडल अधिकारी उक्त "क्राइम अगेंन्स्ट वीमेन" सम्बन्धी समस्त स्तरों से निर्गत दिशा निर्देशों एवं "एसओपी" के लिये गार्ड फाइल रखेंगे
9. यदि शिकायत महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित नहीं है, तो जनपदीय नॉडल अधिकारी उक्त शिकायत को वेबसाइट के "क्राइम अगेंन्स्ट वीमेन" अनुभाग में प्रदर्शित न रखे जाने पर निर्णय लेंगे, क्योंकि उक्त वेबसाइट का अनुभाग मात्र महिला उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों की कार्यवाही हेतु है। उक्त शिकायत वेबसाइट के डाटबेस में उपलब्ध रहेगी एवं जनपदीय पुलिस द्वारा उस पर पृथक रूप से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करायी जायेगी ।